

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 जुलाई 2026 — आषाढ़ 16, शक 1948

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2026
अधिसूचना

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन निर्देश

क्रमांक GENCOR/11917/2026-आवास.—जहाँ कि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम क्रमांक 29) पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया है;

और जहाँकि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 202/1995 में पारित आदेशों के अनुपालन में गठित केन्द्रीय सशक्त समिति द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2025 को "भारत में कोनोकार्पस प्रजातियों से उत्पन्न पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय जोखिम" विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह अभिलिखित किया गया है कि कोनोकार्पस इरेक्टस, एक आक्रामक वनस्पति प्रजाति है, जो स्थानीय जैव विविधता, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, भू-जल संसाधनों तथा जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है;

और जहाँकि, उक्त प्रतिवेदन में कोनोकार्पस प्रजाति के नवीन वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगाए जाने, उसके प्रचार-प्रसार तथा विक्रय पर रोक लगाए जाने तथा वर्तमान में विद्यमान वृक्षारोपण को चरणबद्ध रूप से उपयुक्त देशी प्रजातियों से प्रतिस्थापित किए जाने की अनुशंसा की गई है;

और जहाँकि, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 152(ई), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ राज्य शासन को प्रत्यायोजित की गई हैं;

और जहाँकि, राज्य शासन का यह समाधान है कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के हित में तत्काल निवारक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन अभिलेखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर इस प्रकरण में आपत्तियाँ एवं अभ्यावेदन आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना लोकहित में आवश्यक नहीं है;

अतः, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन एतद द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी करता है—

1. छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी, शासकीय विभाग, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय अभिकरण, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपक्रम अथवा अन्य कोई संस्था कोनोकार्पस प्रजाति का नवीन वृक्षारोपण नहीं करेगी और न ही कराएगी।
2. यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तत्काल प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 6th July 2026

NOTIFICATION

Directions under section 5 of the Environment (Protection) act, 1986

No. GENCOR/11917/2026-HOUSING.— WHEREAS, the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was enacted to provide for the protection and improvement of the environment and for matters connected therewith;

AND WHEREAS, the Central Empowered Committee (CEC), constituted pursuant to the orders of the Hon'ble Supreme Court of India in W.P.(C) No. 202 of 1995, submitted its report dated 21.08.2025 titled 'Environmental and Ecological Hazards posed by **Conocarpus** species in India', recording that **Conocarpus erectus** exhibits invasive characteristics and may adversely affect native biodiversity, local ecosystems, groundwater resources and public health;

AND WHEREAS, the said report recommends prohibition of further plantation of **Conocarpus** species, restriction on its promotion and sale, and phased replacement of existing plantations with suitable native species;

AND WHEREAS, by Notification S.O.152(E) dated 10 February 1988, the Central Government delegated its powers under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 to the State Government;

AND WHEREAS, the State Government is satisfied that immediate preventive action is necessary in the interest of protection and improvement of the environment and that, for reasons to be recorded in writing, the opportunity of filing objections deserves to be dispensed with under Rule 4(5) of the Environment (Protection) Rules, 1986;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with Rule 4(5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the State Government hereby directs as follows:

1. No person, local authority, Government Department, agency or institution shall undertake fresh plantation of **Conocarpus** species anywhere within the State of Chhattisgarh.
2. These directions shall come into force with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Special Secretary.